Annexure-I

प्रारूप सं0 30

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. 365/26- 169 (2016-17) Dated 26/07/2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.8725**hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department, Kirtiangar** for **Construction of Khajra Bainjwari Motor to Barsila Poth Manjuli Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Manjuli** Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire 1.8725 **Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **30** to annexure 30.2

b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.

c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(सोनिका)

(Distt. Colector)

जिला अधिकारी

टिहरी गढ़वाल

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri (सोनिका) I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring 1.8725 **Hectare** for the construction of **Khajra Bainjwari Motor to Barsila Poth Manjuli Motor road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

(सोनिका)
जिला अधिकारी

Place :- Tehri

District Collector Cum chairman

District Tehri Garhwal
New Tehri

प्रभारी- ...
तहसील-देवप्रयाग
...
11-4-017

It is further certified that – Minutes of meeting of **Khajra Bainjwari Motor to Barsila Poth Manjuli** Motor Road (4.00 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.8725 **hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत राज अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
(सदस्य जिला पंचायत, थाती डागर, चन्दपाल सिंह चौहान)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
(जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती
(प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मु-नि-की-रेती)

Signature

((सोनिका))

Distt. Colector
(जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल)

प्रपत्र–23.2

प्ररियोजना का नाम:– राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में खजरा बैंज्वाड़ी के कि0मी0 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत **खजरा बैंज्वाड़ी** के कि0मी0 4 से आगे **बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग**

(1.7675 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.1050 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.8725 हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 03/15/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती नूपुर वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्रीमती नुपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री डी. सी. बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री रणजीत सिंह बर्त्वाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्रीमती मीनादेवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य
(5)	श्री करणसिंह बर्त्वाल	बी.डी.सी. क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **खजरा बैंज्वाड़ी के कि0मी0 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग** परियोजना हेतु 1.8725 हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **देवप्रयाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **खजरा बैंज्वाड़ी के कि0मी0 4 से आगे बरसीला पोथ गनजुली तक मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **1.8725** हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–कीर्तिनगर
जनपद टिहरी (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी (गढ़वाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–कीर्तिनगर

उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल

जनपद...................

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में खजरा बैंज्वाड़ी के कि0मी0 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

दिनांक 03/05/17 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति जनपद–

1.	श्रीमती नुपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल
2.	श्री डी॰पी॰ बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	उप प्रभागीय वनाधिकारी (देवप्रयाग) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
3.	श्री रणजीत सिंह बर्त्वाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
4.	श्रीमती मीना देवी	वी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	श्रीमती मीना देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य ... सागर

(5) श्री कर्ण सिंह बर्त्वाल बी॰डी॰सी॰ क्षेत्र सदस्य

सदस्य-क्षेत्र पंचायत
बैंज्वाड़ी राडागाड
वि0ख0- कीर्तिनगर टि0ग0
कर्णसिंह बर्त्वाल
3-5-2017

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में खजरा बैंज्वाड़ी के कि0मी0 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डागर, बैंज्वाड़ी
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड देवप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत खजरा बैंज्वाड़ी के कि0मी0 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.7675 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.1050 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.8725 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ड़ागर द्वारा दिनांक 10/3/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नैखरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्गाण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ह0/– ह0/–
ग्राम सचिव ग्राम प्रधान
बैंज्वाड़ी/कीर्तिनगर

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति किया प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

फोटो प्रति प्रमाणित

प्रपत्र—23.1

दिनांक 10/3/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खाती/डांगर ग्राम – पौखी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेश लाल	Suresh Lal
2	पुनम कलेठा	Y.M.
3	कुंवर सिंह कलेठा	[illegible]
4	मोर सिंह कलेठा	मोर सिंह
5	प्रताप सिंह कलेठा	प्रताप सिंह
6	मकान सिंह नेगी	मकान सिंह
7	ज्ञान सिंह कलेठा	[illegible]
8	मकान सिंह कलेठा	मकान सिंह
9	कुन्दन सिंह राणा	Kundan [illegible]
10		

फोटोप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता–
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ग०

ह0/–

ग्राम प्रधान/अध्यक्ष

ह0 ...

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10/3/07 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बैंज्वाड़ी डागर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बुद्धि सिंह पुवार	बुद्धि सिंह
2	रघुवीर सिंह भण्डारी	रघुवीरसिंह
3	रामदास	रामदास
4	प्रेम लाल	प्रेमलाल
5	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
6	कर्ण सिंह	कर्ण सिंह
7	पूर्ण सिंह	पूर्ण सिंह
8	गोविन्द सिंह	[illegible]
9	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
10	रुकम सिंह	रुकम सिंह
		कर्ण सिंह सदस्य-क्षेत्र पंचायत बैंज्वाड़ी राडागाड वि०ख०- कीर्तिनगर टि०ग० कर्णसिंह पर्त्वाल

सेवा में
श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल।

विषयः खधरा बैंज्वाड़ी–पोथमंजली मोटर मार्ग सर्वेक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि उक्त मोटर मार्ग का सर्वेक्षण आपके द्वारा कई बार किया गया परन्तु स्थानीय जनता की सहमति न बन पाने के कारण सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण नही हो पाया है किन्तु महोदय अब निम्न प्रकार से उक्त संदर्भित मोटर मार्ग निर्माण हेतु सहमति बन गई है।

चांदणी नामी तोक से श्रीमती गेंदा देवी के खेतों से होते हुए श्री प्रताप सिंह कलेठा की मकान के पास से होते हुए श्री मोर सिंह कलेठा के चरागाह से होते हुए श्री पदम सिंह नेगी की मकान से आगे श्री रूकम सिंह नेगी ,श्री प्रेम सिंह नेगी,श्री गोतम सिंह नेगी के खेतों से होते हुए श्री कुन्दन सिंह राणा के खेतों से होते हुए श्री कुन्दन सिंह राणा के मकान के नीचे से और श्री मोर सिंह कलेठो के मकान के उपर से होते हुए स्वर्गीय ज्ञान सिंह राणा के मकान से होते हुए श्री कुन्दन सिह राणा,श्री रातेसिंह नेगी, श्री जवाहरसिंह नेगी,श्री महाजन सिंह नेगी,स्व०श्री सूरत सिंह नेगी, श्री मूर्तिसिंह नेगी, श्री राय सिंह नेगी के खेतों से होते हुए एकलखा नामी तोक में बैंड देने पर श्री ज्ञानसिंह कलेठा,श्री मकान सिंह कलेठा श्री मकान सिंह की श्री सुरेन्द्रपाल सिंह रावत,श्री जीत सिंह रावत, स्व0 श्री सरोप सिंह जयाडा, श्री अजमेर सिंह जयाड़ा के खेतों से होते हुए मजली ग्राम सभा से होते हुए श्री भल्ड महादेव तक स्थानीय लोगों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित मोटर मार्ग का सर्वेक्षण करने का कष्ट करें।

प्रार्थिनी
पुष्पा देवी
श्रीमती पुष्पा देवी
महिला मंगल दल खाली डागर (पोड)
कीर्तिनगर, टिहरी

प्रतिलिपिःमाननीय शिक्षा एवं पेयजल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्रीमती पुष्पा देवी
अध्यक्षा
पुष्पा देवी
महिला मंगल दल खाली डागर (पोड)

फोटो प्रति प्रमाणित

(10)

जय गुरु ... जय ... देवत

ग्राम पंचायत- बैज्वाड़ी, पट्टी डागर, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

रमेश सिंह भण्डारी
ग्राम प्रधान

ग्राम - बैज्वाड़ी, पो० -जाखी डागर
वि० ख० - कीर्तिनगर, टि० ग०
मो: 9639936710

पत्रांक................. — सहमति पत्र — दिनांक 19/5/2015

सेवामें,
श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
लो० नि० वि० कीर्तिनगर,

विषय - बैज्वाड़ी, बरशिरा, पोखा, ... मोटर मार्ग की सर्वे के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र सेवा में पेश,

महोदय,
निवेदन है कि खन्चरा - बैज्वाड़ी मोटर मार्ग से आगे की सर्वे भौगोलिक स्थिति को मध्य नजर रखते हुये की जाय, जिसमें कि ग्राम सभा बैज्वाड़ी का किसी भी प्रकार से आपत्ति नहीं है, पर सर्वे तुरन्त करवाने की महती कृपा करें। हम सभी ग्राम वासि आपके विभाग के साथ हैं।

समस्त काश्तकार व ग्राम वासि बैज्वाड़ी —

- [signature]
- राजेन्द्र सिंह
- रघुवीर सिंह
- भवान सिंह
- रमेश सिंह
- बलदेव सिंह
- ... सिंह
- बख्तावर सिंह

(Stamp: ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत ... कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल, ह० ... दिनांक........)

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता प्रथम को स्थलीय एवं शीघ्र सर्वेक्षण कर प्रेषित करने हेतु

[signature]

फोटोप्रति प्रमाणित

[signature]
सहायक अभियन्ता-

प्रारूप सं0 – 1.90

भू–अर्जन प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – डागर, बैंजवाड़ी
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

कार्य का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

स्वीकृति सन्दर्भ :– 6970/III(2)/13–40(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14.12.2013

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत **खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक** मोटर मार्ग 4.00 कि0मी0 हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासकि एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत **खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक** मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये 1.7675 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.1050 है0 सिविल वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.8725 है0 का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 0.9275 है0 ग्राम पंचायत डागर, बैंजवाड़ी .... के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोकता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

प्रतिहस्ताक्षरित
अपर जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
कीर्तिनगर (टि0 ग0)

प्रभारी-...
तहसील देवप्रयाग
टिहरी गढ़वाल
11-2-017